

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/44/2016-17

05 जुलाई, 2017

सेवा में,

श्रीमती शमा परवीन,
पत्नी स्व. मुताहिर हुसैन,
मौहल्ला शंशहाबाद, मासूम मस्जिद,
के निकट थाना क्वार्सी,
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

कृपया अपने दिनांक 30.06.2017 के पत्र जोकि इस सचिवालय में 04.07.2017 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ. संख्या 37एफ 043983 व दस-दस रूपये के तीन नोट संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि आपके पत्र की विषय-वस्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नहीं आती है और न ही इस कार्यालय से संबंधित है। अतः आपका पत्र मूल रूप में दस रूपये के पो.आ. संख्या 37एफ 043983 व दस-दस रूपये के तीन नोटों सहित आपको लौटाया जा रहा है तथा आपको सलाह दी जाती है कि आप इस विषय में संबंधित राज्य मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

Alarain Singh
5/7/17

सूचना का अधिकांक 2 अधिनियम 2005 R-11 No 4

सूचना का अधिकांक 2 अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत

सेवा में,

माननीय उपराष्ट्रपति महोदय

भारत सरकार नई दिल्ली



महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थिया शमा परवीन पत्नी स्व० मुताहिर हुसैन नि. मौहल्ला शंहशाहाबाद, मासूम मस्जिद के निकट थाना क्वार्सी जिला अलीगढ रहने वाली है प्रार्थिया की उम्र लगभग 62 वर्ष है और विधवा है ।

यह कि प्रार्थिया के तीन बच्चे शानू हुसैन, शहजाद व सनी है । आबाद अली पुत्र मुराद अली निवासी मौ० जमालपुर थाना सिविल लाइन अलीग एक झूठे केस मु०अ०सं०-1045/2015 अ०धा०-302 आई०पी०सी० थाना क अलीगढ में इलाका पुलिस के साथ साजिश करके झूठा फंसा दिया है ।

यह कि घटना के असली आरोपियों से पैसे लेकर थाना क्वार्सी पुलिस उनको विवेचना में निकाल दिया है मृतक बहार अहमद पुत्र आबाद अली निव शंहशाहबाद थाना क्वार्सी जिला अलीगढ का मुखबिर था और उक्त पर पहले 3 अगस्त 2013 को हमला हुआ था ।

यह कि प्रार्थिया के उपरोक्त तीनों बेटे कतई निर्दोष है जिन्हें झूठा फंसा गया है ।

यह कि श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त घटना की सी०बी०सी०आई० से विवेचना करायी जाये और यदि विवेचना में प्रार्थिया के बेटे दोषी पाये जाये प्रार्थिया सी०बी०सी०आई०डी० का पूरा खर्चा स्वयं बहन करने को तैयार है ।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मु०अ०सं०-1045/2015 अ०धा०-3 आई०पी०सी० थाना क्वार्सी जिला अलीगढ में सी०बी०सी०आई०डी० से विवेचना क जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें । ताकि प्रार्थिया को न्याय मिल सके

प्रार्थिया

शमा परवीन

दिनांक-28-6-0-17

कै०न० 73K 22 6612

534319623

49 DB91132

पोस्ट जोडर न० 37F043983

शमा परवीन पत्नी स्व० मुताहिर हुसैन

निवासी मौहल्ला शंहशाहाबाद, मासूम मस्जि

के निकट थाना क्वार्सी जिला अलीगढ

37F 043983

प्रमाण के नीचे इस लिफाफे, DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

पॉस्ट मास्टर/POSTMASTER

के अधिकार में भेजा जायेगा।

पॉस्ट स्टाम्प
प्लेस स्टिक

AT THE POST OFFICE AT

भारतीय कमीशन ट्यूब 10 रुपये
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE
प्रेरक अपना नाम और पता यहाँ लिखें।

₹ 10

दस रुपय की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

PAY TO भारतीय डाक विभाग
भारतीय डाक विभाग के निदेशक को
भारतीय डाक विभाग के निदेशक को

भारतीय डाक विभाग के निदेशक को

भारतीय डाक आदेश
INDIAN POSTAL ORDER



भारतीय डाक विभाग
भारतीय डाक विभाग

भारतीय डाक विभाग के निदेशक को भेजा जायेगा।

